

विज्ञापित

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या -19/2023/3975 /58-1-2022-2/1(22)10 टी.सी. दिनांक 21 मार्च 2023 के क्रम में पत्र संख्या सी-1775 दिनांक 11.11.2024 के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर विज्ञापित जारी की गयी थी। पूर्व विज्ञापित के अवशेष पदों पर भर्ती हेतु संसोधित विज्ञापित नवीन शासनादेश संख्या-I /1092245/2025 /3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद फिरोजाबाद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजनावार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं०	बाल विकास परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	पूर्व जारी विज्ञापित के अवशेष रिक्त पदों की कुल संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
1	शिकोहाबाद	ग्रामीण	4	3	0	1
2	अरांव	ग्रामीण	1	1	0	0
3	मदनपुर	ग्रामीण	1	1	0	0
4	खैरगढ़	ग्रामीण	2	2	0	0
5	जसराना	ग्रामीण	14	10	1	3
6	कोटला	ग्रामीण	60	35	11	14
7	दूण्डला	ग्रामीण	3	3	0	0
8	एका	ग्रामीण	1	1	0	0
9	शहर प्रथम	शहरी	21	12	6	3
10	शहर द्वितीय	शहरी	30	16	9	5
योग			65	48	12	5
			202	132	39	31

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- 1- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- 2- चयन की समस्त कार्यवाही एवं विज्ञापित पदों की समस्त नियम व शर्तें बाल विकास एवं पुष्पाहार अनुभाग उ०प्र० के शासनादेश संख्या-I/1092245/2025 /3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- 3- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
- 4- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (शहरी)/ग्राम पंचायत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
- 5- आवेदिका की दिनांक 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति के किसी भी अभ्यर्थियों को पृथक से आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं होगी।

- 6- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित फार्म समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफ लाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 7- ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 8- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदिका द्वारा नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर एवं समस्त अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।
- 9- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.02.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
- 10- विधवा/तलाकशुदा/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को शासनादेश में निहित व्यवस्था के क्रम में चयन में वरीयता दी जायेगी। विधवा के सम्बन्ध में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी/ सम्बन्धित नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परिवार पंजिका की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश ही मान्य होगा।
- 11- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत ऑन लाइन प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। जिनका ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर सत्यापन किया जाना सम्भव हो।
- 12- उपरोक्त पदों की अर्हता, आवेदन की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें तथा upanganwadibharti.in से उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ ले। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, विकास भवन फिरोजाबाद से जानकारी प्राप्त कर लें।
- 13- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि जनित हानि से बचा जा सकें।
- 14- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123 /26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर,2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑन लाइन सत्यापन सम्भव हो सके। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 15- एक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद नहीं की जायेगी।
- 16-यदि चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अक्षयक्ष, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद/पार्षद तथा महापौर आदि के पद पर पूर्व से निर्वाचित है, तो उक्त चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को कार्यकर्त्री के पद पर योगदान करने से पूर्व त्यागपत्र देना होगा अन्यथा

की स्थिति में उसके चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।

17-वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

13-1-2026
(केसरी नन्दन पतिवारी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
फिरोजाबाद

कार्यालय: जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक:—सी-3379 / जि0का0अधि0/आं0बा0च0/2025-26

दिनांक: 13 जनवरी 2026

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी फिरोजाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।
4. नगर आयुक्त फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञापित को सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद फिरोजाबाद से इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञापित को सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञापित को सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अपने कार्यालय के सूचना पटल पर विज्ञापित चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापित न्यूनतम् दरों पर अमर उजाला एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र एवं जनपद के एक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
फिरोजाबाद।